छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

आदेश

क्रमांक 119

दिनांक 16/12/2015

विषयः—मण्डल के निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले विभिन्न उत्पाद / मेक के अनुमोदन संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत विभिन्न उत्पादक/कंपनी द्वारा उनके उत्पादों को मण्डल के कार्यों में उपयोग हेतु अनुमोदन बाबत् आवेदन किये जाने पर उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पादन प्रक्रिया आदि के परीक्षण उपरांत, उचित पाये जाने पर उन्हे मण्डल के विभिन्न निर्माण कार्यों में उपयोग हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा रहा था।

मण्डल के निर्माण कार्यों में भविष्य में उपयोग किये जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता अधिक बेहतर बनाये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये अनुमोदन हेतु अपनायी जा रही पूर्व प्रक्रिया के स्थान पर निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

1. मण्डल को प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रकरण आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
2. तत्पश्चात् उत्पाद / मेक के सत्यापन हेतु पृथक–पृथक से प्रकरणवार समिति का गठन आयुक्त द्वारा किया जावेगा।
3. गठित समिति के द्वारा निर्माण उत्पाद का परीक्षण एवं सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पश्चात् मुख्यालय की उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण होगा।

Bavane 16/12/15

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ. क्र. 3241 /अ.आ./मुख्या./49/2011 रायपुर दिनांक 16/12/2015

प्रतिलिपि :—

1. स्टॉफ आफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. उपायुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर/ वृत्त–रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर।
4. कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर/ संभाग–1,2,3,4 रायपुर/ विद्युत संभाग–1,2,3/ राज.परि.संभाग–1,2 नया रायपुर/ दुर्ग/ परि. संभाग दुर्ग/ बिलासपुर/ राजनांदगांव/ रायगढ़/ जगदलपुर/ कोरबा/ अंबिकापुर एवं कोण्डागांव।

Bavane 16/12/15

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

E:\Aadesh_Final.doc